**BFFORE THE HON'BLE NATIONAL GREEN TRIBUNAL,**
**PRINCIPAL BENCH, NEW DELHI**
**M.A. NO. 26 OF 2026**
**IN**
**ORIGINAL APPLICATION NO. 125 OF 2013**

**IN THE MATTER OF:**
**SHABI HAIDER JAFRI** **…Applicant(s)**
**Versus**
**STATE OF UTTAR PRADESH**
**& ORS.** **…Respondent(s)**

## INDEX

| S. NO. | PARTICULARS | PAGE NO. |
|---|---|---|
| 1. | Reply/Response of behalf of the Respondent no.-3, the Uttar Pradesh Pollution Control Board. | 1-4 |
| 2. | **ANNEXURE-R3/1**<br>A true copy of the inspection report dated 19.06.2026 alongwith its respective annexure | 5 |
| 3. | **ANNEXURE-R3/2**<br>A true copy of the letters dated 08.05.2026 and 15.05.2026 | 6-7 |
| 4. | **ANNEXURE-R3/3**<br>A true copy of the letter dated 25.06.2026 | 8-20 |

**THROUGH**

**DATE: 06.07.2026**
**PLACE: NEW DELHI**

**STHAVI ASTHANA**
**ADVOCATE FOR UPPCB,**
**C-9, SECTOR 50, NOIDA,**
**UTTAR PRADESH-201303**
**(M): 9711116034**
**(E): STHAVIASTHANA@GMAIL.COM**

# BEFORE THE HON'BLE NATIONAL GREEN TRIBUNAL
# PRINCIPAL BENCH, NEW DELHI

## M.A. NO. 26 OF 2026
## IN
## ORIGINAL APPLICATION NO. 125 OF 2013

**IN THE MATTER OF:**
**SHABI HAIDER JAFRI** ...Applicant(s)

Versus

**STATE OF UTTAR PRADESH & ORS.** ...Respondent(s)

**REPLY/RESPONSE OF BEHALF OF THE RESPONDENT NO.-3, THE UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD.**

I, Amit Mishra aged about 45 years, S/o Shri D.P. Mishra, presently posted as Regional Officer, Uttar Pradesh Pollution Control Board (hereinafter referred to as "UPPCB"), Agra do hereby solemnly affirm and state an oath as under:

1. That in the official capacity mentioned above, I am acquainted with the facts and circumstances of the case and as such I am competent and authorized to swear this affidavit.

2. The present M.A. has been filed seeking restoration of O.A. No. 125 of 2013.

3. That the officials of the UPPCB conducted a site visit on 19.06.2026 and carried out the inspection of the site in question i.e. UP State Industrial Development Authority, Industrial Area, Leather Park, Agra.

A true copy of the inspection report dated 19.06.2026 alongwith its respective annexure is annexed herewith and marked as **Annexure R3/1**.

4. That during the course of the inspection, a half-constructed boundary gate existed at the proposed project site. However, no industrial activity, construction activity or development work related to the Leather Park Project was found at the site. It was further observed that agricultural activities were being carried out in a substantial portion of the land and naturally grown vegetation /trees were present no signboard or demarcation indicating implementation of the Leather Park Project was found during inspection. That photographs taken during inspection clearly the present status of the site.

5. That UPPCB vide its letters dated 08.05.2026 and 15.05.2026 has requested the Regional Manager, UP State Industrial Development Authority, Industrial Area, Leather Park, Agra for information regarding the project. A true copy of the letters dated 08.05.2026 and 15.05.2026 is annexed herewith and marked as **Annexure R3/2.**

6. That a reply dated 25.06.2026 was received from the Regional Manager, UP State Industrial Development Authority providing

S.No. 5/2104/2026
NOTARY
Pawan Kumar Sharma Advocate
Distt. AGRA
Regd No 2323/02
VALID-04/6/27
GOVT OF INDIA
6/5/2026

copies of the EC granted by SEIAA, NOC granted by UPPCB as well as permission for tree felling granted by the MOEFCC. A true copy of the letter dated 25.06.2026 is annexed herewith and marked as **Annexure R3/3.**

7. That it is further submitted that the Hon'ble Supreme Court vide order dated 18.02.2026 in Civil Appeal No. 782 of 2020 had recorded as under:

*"9. The parties shall also be at liberty to raise all objections, including those relating to the maintainability of the OA, before the National Green Tribunal."*

8. That it is submitted that the Applicant vide the O.A. in question has purportedly challenged the Environmental Clearance dated 18.11.2011 granted by SEIAA. An O.A. under Section 14 and 15 of the NGT Act, 2010 is not maintainable challenging the same as a specific provision of appeal is provided under Section 16.

9. That the present affidavit is being submitted before this Hon'ble Tribunal for kind perusal and consideration.

10. I state that everything stated above has been stated by me in my official capacity on and derived from the official records and I state that nothing material has been concealed therefrom.

SNo R104/2026
6/2/2026

NOTARY
Pawan Kumar Sharma Advocate
Distt. AGRA
Regd. No. 23/02
Valid 04/12/27
GOVT OF INDIA

DEPONENT

**VERIFICATION:**

Verified at AGRA on this the 06 day of July, 2026 that the contents of above affidavit are true and correct to my knowledge based on records and information received and believed to be true, no part of it is false and nothing material has been concealed therefrom.

DEPONENT

5/2104/2026
Explained to Sh. Amit Mishra
Read by Presently Posted as Regional officer RPO Agra
Who understood the contents
Solemnly affirmed & declare on
Oath on 06/7/2026
At Agra
Identified by

NOTARY
Pawan Kumar Sharma Advocate
Distt. AGRA
Regd No 2323/02
VALID-04/12/2
GOVT OF INDIA

**मा0 एन0जी0टी0 नई दिल्ली में योजित ओ0ए0 सं0–125/2013 (एम0ए0–26/2026), शबि हैदर जाफरी बनाम स्टेट ऑफ यू0पी0 व अन्य में पारित आदेश दिनांक 07.04.2026 के अनुपालन में मै0 उ0प्र0 राज्य औद्योगिक विकास प्राधिकरण, औद्योगिक क्षेत्र लेदर पार्क, आगरा की निरीक्षण आख्या।**

कृपया उपरोक्त विषयक मा0 एन0जी0टी0 नई दिल्ली में योजित ओ0ए0 सं0–125/2013 (एम0ए0–26/2026), शबि हैदर जाफरी बनाम स्टेट ऑफ यू0पी0 व अन्य के अनुपालन में मै0 उ0प्र0 राज्य औद्योगिक विकास प्राधिकरण, औद्योगिक क्षेत्र लेदर पार्क, आगरा का स्थलीय निरीक्षण अधोहस्ताक्षरकर्ताओं द्वारा दिनांक 19.06.2026 को किया गया। निरीक्षण के समय स्थल पर कोई प्रतिनिधि उपस्थित नहीं पाया गया। निरीक्षण के समय पाये गये तथ्य निम्नवत् है:–

1. उ0प्र0 राज्य औद्योगिक विकास प्राधिकरण, आगरा द्वारा औद्योगिक क्षेत्र विकसित किये जाने हेतु लेदर पार्क, ग्राम– बरौदा सदर, पाली सदर, महावर, तहसील–किरौली, जनपद–आगरा में भूमि एवं इन्फ्रास्ट्रक्चर विकास कार्य किया जाना है। उक्त प्रस्तावित परियोजना स्थल ताज ट्रेपेजियम जोन क्षेत्रान्तर्गत आच्छादित है।
2. कार्यालय अभिलेखानुसार उ0प्र0 राज्य औद्योगिक विकास प्राधिकरण, आगरा द्वारा औद्योगिक क्षेत्र विकसित किये जाने हेतु लेदर पार्क, ग्राम– बरौदा सदर, पाली सदर, महावर, तहसील–किरौली, जनपद–आगरा हेतु निम्नांकित पर्यावरणीय स्वीकृति/अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत हैं:–
   - स्टेट लेविल इन्वायरमेन्ट इम्पैक्ट असैसमैन्ट अथॉरिटी, पर्यावरण निदेशालय, उ0प्र0 लखनऊ के पत्र संख्या 2576/एसईएसी/444/2010/टीए(जे) दिनांक 18.11.2011 के द्वारा ई0आई0ए0 नोटिफिकेशन दिनांक 14.09.2006 के प्राविधानों के अनुसार कैटेगरी 8(बी) के अन्तर्गत लैदर पार्क की स्थापना हेतु पर्यावरणीय क्लीयरैन्स निर्गत की गई है। (संलग्नक–1)
   - उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड लखनऊ के पत्र संख्या एफ0 25783/सी–4 /एन0ओ0सी0–653/13 दिनांक 13.06.2013 के द्वारा मै0 लैदर पार्क, आगरा की स्थापना हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत है। (संलग्नक–2)
   - क्षेत्रीय कार्यालय (मध्य क्षेत्र) पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, भारत सरकार के पत्रांक 18बी/यू0पी0/06/49/2011/एफ.सी./1254 दिनांक 21.10.2011 द्वारा आगरा में एन0एच0–11 कि0मी0 17–18 के मध्य दायीं ओर प्रस्तावित लैदर पार्क योजना के संपर्क मार्ग हेतु 0.05 हेक्ट0 संरक्षित वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग व बाधक 10 वृक्षों के पातन की अनुमती निर्गत की गई। (संलग्नक–3)
3. दिनांक 19.06.2026 को निरीक्षण के समय प्रस्तावित परियोजना स्थल पर अर्द्धनिर्मित गेट बना पाया गया। शेष स्थल पर किसी तरह का विकास कार्य नहीं हुआ पाया गया। लगभग सम्पूर्ण भू–भाग पर खेती पायी गई तथा कुछ पेड़ पाये गये। परियोजना क्षेत्र का चिन्हिकरण नहीं पाया गया।
   निरीक्षण के समय लिये गये फोटोग्राफ्स निम्नवत् है:–

4. मा0 एन0जी0टी0 नई दिल्ली में योजित ओ0ए0 सं0–125/2013 (एम0ए0–26/2026), शबि हैदर जाफरी बनाम स्टेट ऑफ यू0पी0 व अन्य के अनुपालन में परियोजना के सम्बन्ध में अद्यतन स्थिति से अवगत कराये जाने के सम्बन्ध में कार्यालय के पत्रांक संख्या 112/एल–304/2026 दिनांक 08.05.2026 एवं पत्रांक संख्या 157/एल–304/2026 दिनांक 15.05.2026 द्वारा क्षेत्रीय प्रबन्धक, उ0प्र0 राज्य औद्योगिक विकास प्राधिकरण, आगरा को पत्र प्रेषित किया गया। (संलग्नक–4)

उपरोक्तानुसार निरीक्षण आख्या आपके अवलोकनार्थ एवं अग्रिम आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रस्तुत है।

19/06/26
(सुनील कुमार)
अनुश्रवण सहायक

19/6/26
(क्षितीश पटेल)
सहायक वैज्ञानिक अधिकारी

क्षेत्रीय अधिकारी महोदय,

19/06/2026

e-mail-roagra@uppcb.in

# क्षेत्रीय कार्यालय, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,

भवन सं0 14, सेक्टर 3बी, आवास विकास सिकन्दरा योजना, आगरा।

पत्रांक –.....112...../एल–304/2026 दिनांक –.....08...../05/2026

सेवा में,

क्षेत्रीय प्रबन्धक,
उ0प्र0 राज्य औद्योगिक विकास प्राधिकरण,
आगरा।

**विषयः– मा0 एन0जी0टी0 नई दिल्ली में योजित ओ0ए0 सं0–125/2013 (एम0ए0–...../2026), शबि हैदर जाफरी बनाम स्टेट ऑफ यू0पी0 व अन्य के सम्बन्ध में।**

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक कार्यालय जिलाधिकारी, आगरा के पत्रांक–1429/आर0ए0–2 दिनांक 17.04.2026, जो इस कार्यालय मे दिनांक 28.04.2026 को प्राप्त हुआ है (छायाप्रति संलग्न), का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। उक्त पत्र में मा0 एन0जी0टी0 नई दिल्ली में योजित ओ0ए0 सं0–125/2013 (एम0ए0– /2026), शबि हैदर जाफरी बनाम स्टेट ऑफ यू0पी0 व अन्य में प्रकरण यू.पी.एस.आई.डी.सी. द्वारा विकसित किये जा रहे लैदर पार्क कॉम्लेक्स, आगरा से सम्बन्धित है।

अतः आपसे अपेक्षा है कि मा0 एन0जी0टी0 नई दिल्ली में योजित ओ0ए0 सं0–125/2013 (एम0ए0– /2026), शबि हैदर जाफरी बनाम स्टेट ऑफ यू0पी0 व अन्य में यू.पी.एस.आई.डी.सी. द्वारा की जा रही कार्यवाही के सम्बन्ध में मा0 अधिकरण को ससमय को अवगत कराते हुये कृत कार्यवाही से अभिलेखार्थ इस कार्यालय को भी अवगत कराने का कष्ट करें।

भवदीय

संलग्नक–यथोपरि।

(अमित मिश्रा)
क्षेत्रीय अधिकारी

प्रतिलिपि–निम्नलिखित महोदयों को सादर अवलोकनार्थ प्रेषित।

1. जिलाधिकारी, आगरा।
2. अपर जिलाधिकारी (नगर), आगरा।
3. नगर मजिस्ट्रेट/प्रभारी अधिकारी (वाद), आगरा।
4. मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त–4), उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।

क्षेत्रीय अधिकारी

D:drive/2017/other work-1

e-mail-roagra@uppcb.in

# क्षेत्रीय कार्यालय, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,

भवन सं0 14, सेक्टर 3बी, आवास विकास सिकन्दरा योजना, आगरा।

पत्रांक –157/एल–304/2026 दिनांक –15/05/2026

सेवा में,

प्राभरी वरिष्ठ प्रबन्धक (सिविल),
निर्माण खण्ड–5
उ0प्र0 राज्य औद्योगिक विकास प्राधिकरण,
आगरा।

**विषयः– मा0 एन0जी0टी0 नई दिल्ली में योजित ओ0ए0 सं0–125/2013 (एम0ए0–...../2026), शबि हैदर जाफरी बनाम स्टेट ऑफ यू0पी0 व अन्य के सम्बन्ध में।**

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक क्षेत्रीय प्रबन्धक, उ0प्र0 राज्य औद्योगिक विकास प्राधिकरण, आगरा के पत्रांक सं0–363/यूपीसीडा/आर.एम. आगरा दिनांक 04.05.2026, जो आपको सम्बोधित है, का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। उक्त पत्र में मा0 एन0जी0टी0 नई दिल्ली में योजित ओ0ए0 सं0–125/2013 (एम0ए0–/2026), शबि हैदर जाफरी बनाम स्टेट ऑफ यू0पी0 व अन्य में प्रकरण यू.पी.एस.आई.डी.सी. द्वारा विकसित किये जा रहे लैदर पार्क कॉम्लेक्स, आगरा से सम्बन्धित है। प्रकरण पर मा0 अधिकरण में शपथ पत्र दाखिल किये जाने के सम्बन्ध में सूचना प्रेषित किये जाने हेतु इस कार्यालय के पत्रांक सं0–112/एल–304/2026 दिनांक 08.05.2026 द्वारा क्षेत्रीय प्रबन्धक, उ0प्र0 राज्य औद्योगिक विकास प्राधिकरण, आगरा को पत्र प्रेषित किया गया था। प्रकरण पर कोई सूचना प्राप्त नहीं है।

अतः आपसे अपेक्षा है कि मा0 एन0जी0टी0 नई दिल्ली में योजित ओ0ए0 सं0–125/2013 (एम0ए0– /2026), शबि हैदर जाफरी बनाम स्टेट ऑफ यू0पी0 व अन्य में यू.पी.एस.आई.डी.सी. द्वारा की जा रही कार्यवाही से इस कार्यालय को भी अवगत कराने का कष्ट करें, जिससे मा0 अधिकरण को कृत कार्यवाही से अवगत कराया जा सके।

भवदीय

क्षेत्रीय अधिकारी

प्रतिलिपि–निम्नलिखित महोदयों को सादर अवलोकनार्थ प्रेषित।

1. उपाध्यक्ष/सदस्य–संयोजक, टी0टी0जेड0 प्राधिकरण, आगरा।
2. नगर मजिस्ट्रेट/प्रभारी अधिकारी (वाद), आगरा।
3. मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त–4), उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।

क्षेत्रीय अधिकारी

**उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास प्राधिकरण**

**कार्यालय :– वरिष्ठ प्रबन्धक (सिविल), निर्माण खण्ड–पंचम,** प्रशासनिक भवन, ई.पी.आई.पी. शास्त्रीपुरम्, सिकन्दरा, आगरा–282007 (उ0प्र0)
जीएसटी नं0:– 09AAALU1000G1ZF
ईमेल–eecd5upsidcagra@gmail.com
वेबसाइट:– www.onlineupsida.com

**क्षेत्रीय अधिकारी**
**उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड**
**आगरा।**

**संदर्भ संख्या** 260 **/ यूपीसीडा / व0प्र0(सि0) / सीडी–5 / आगरा** **दिनांक** 25/06 **/2026**

**विषय :– मा0 एन0जी0टी0 नई दिल्ली मे योजित ओ0ए0 सं0 125 / 2013 (एम0ए0–...../2026), शबि हैदर जाफरी बनाम स्टेट ऑफ यू0पी0 व अन्य के सम्बन्ध में।**

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक अपने कार्यालय के पत्रांक 157 / एल–304 / 2026 दिनांक 15.05.2026 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसमें मा0 एन0जी0टी0 नई दिल्ली मे योजित ओ0ए0 सं0–125 / 2013 (एम0ए0–...../2026), शबि हैदर जाफरी बनाम स्टेट ऑफ यू0पी0 व अन्य मे प्रकरण यू0पी0एस0आई0डी0सी0 द्वारा विकसित किये जा रहे लैदर पार्क कॉम्पलेक्स, आगरा से सम्बन्धित है। प्रकरण पर मा0 अधिकरण मे शपथ पत्र दाखिल किये जाने के सम्बन्ध मे सूचना प्रेषित किये जाने हेतु अनुरोध किया है।

उक्त अनुरोधो के कम मे लैदर पार्क आगरा से सम्बन्धित अभिलेख (Enviroment Clearance from SEIAA, Tree Felling Permission from MoEF, UPPCB NOC एवं अन्य) प्रपत्र पत्र के साथ संलग्न कर प्रेषित है।

अतः आपसे अनुरोध है कि उक्त प्रकरण मे नियमानुसार अग्रिम आवश्यक कार्यवाही करने का कष्ट करें।

**भवदीय,**

**संलग्नक :– उपरोक्तानुसार।**

**(अभिषेक यादव)**
**प्र0 वरिष्ठ प्रबन्धक (सिविल)**

**संदर्भ संख्या.....यूपीसीडा / व0प्र0(सि0) / सीडी–5 / आगरा** **दिनांक...../...../2026**

**प्रतिलिपि :–**

1. अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी (ए) महोदया, यूपीसीडा मुख्यालय कानपुर को सादर अवलोकनार्थ।
2. उपाध्यक्ष / सदस्य–संयोजक, टी0टी0जेड0 प्राधिकरण, आगरा को सादर सूचनार्थ प्रेषित।
3. महाप्रबन्धक (अभि0), महोदय यूपीसीडा मुख्यालय कानपुर को सादर सूचनार्थ प्रेषित।
4. नगर मजिस्ट्रेट / प्रभारी अधिकारी (वाद), आगरा को सादर सूचनार्थ प्रेषित।

**(अभिषेक यादव)**
**प्र0 वरिष्ठ प्रबन्धक (सिविल)**

(S)

Bhim Rao Ambedkar Paryavaran Parisar
Vineet Khand-1, Gomti Nagar, Lucknow-226010
Phone: 91-522-2300 541, Fax: 91-522-2300 543
E-mail: doeuplko@yahoo.com
Website: www.seiaaup.com

232

Ref. No. 2576/SEAC/444/2010/TA(I)/ Date: 18 November, 2011

To,

Shri S.K. Verma,
Managing Director,
U.P. State Industrial Development Corporation Ltd.,
U.P.S.I.D.C. Complex A-1/4, Lakhanpur,
Kanpur-208024,

Sub: Regarding the Environmental Clearance for Proposed Leather Park at Agra-Jaipur National Highway (NH-11) Village-Baroda Sadar, Pali Sadar, Mahavar Kiraoil, District-Agra, U.P.

Dear Sir,

Please refer to your letter dated 07/06/2010, 11/06/2010, 30/06/2010 & 22/09/2010 addressed to the Director Environment & Secretary, SEAC, Director, Directorate of Environment, Govt. of U.P., Gomti Nagar, Lucknow on the subject as above. The State Level Expert Appraisal Committee has considered the matter and has been given to understand by the representatives of project proponents present in the meeting that:

1. The environmental clearance is sought for Proposed Leather Park, Village-Baroda Sadar, Pali Sadar, Mahavar, District-Agra, U.P. M/s UPSIDC, Kanpur, U.P.
2. Total plot area of the project 108.56 ha. and proposed capacity is 15,000 leather goods/day.
3. At the proposed leather park only leather goods fabrication and related non polluting processes will be carried out.
4. Total water requirement is 12.0 MLD which shall be drawn through bore well after obtaining permission from Ground Water Board.
5. For smooth running of vehicles 45 m., 30 m., 18m., and 12m. wide roads area being provided inside industrial area.
6. Total waste water to be generated is 634.23 KLD which shall be treated in an in-house STP of 795 KLD capacity.
7. Against compensation of land acquired from the forest department, a green belt of 8200 sqm. area has been proposed along the front site of the project site.
8. Taj Mahal is approximately 19.5 km. towards east direction.
9. Energy requirement is 10.0 MKW.
10. No use of DG sets will be allowed within the project site.
11. The proposals are covered under category 8"b" of the EIA notification dated 14/09/2006, as amended.

The committee also noted that the matter was discussed in its meeting dated 08/07/2010 in which it was decided that in view of the office order no. 6/1172/EVII-BRL/IV dated 03/05/1983 of Govt. of India, restricting setting up of potentially polluting industries in TTZ area, a reference should be made to MoEF Govt. of India to seek their advise on whether the project would be appraised by SEIAA, U.P. or by the Central Expert Appraisal Committee. In this continuation a reference was made to Govt. of India. In the response of this letter, Govt. of India informed that the proposal may be examined/processed and the recommendation should be placed before the Hon'ble Supreme Court of India in the back drop of TTZ Notification.

Based on the recommendations of the State Level Expert Appraisal Committee (Meeting held on 26/09/2011) on the above set project, The State Level Environment Impact Assessment Authority (Meeting held on 07/10/2011) has decided to grant the Environmental Clearance to the project proposals subject to the effective implementation of the following conditions:

**General Conditions :**

1. It shall be ensured that all standards related to ambient environmental quality and the emission/effluent standards as prescribed by the MoEF are strictly complied with.
2. It shall be ensured that obtain the no objection certificate from the U.P. pollution control board before start of construction.
3. It shall be ensured that no construction work or preparation of land by the project management except for securing the land is started on the project or the activity without the prior environmental clearance.
4. The proposed land use shall be in accordance to the prescribed land use. A land use certificate issued by the competent authority shall be obtained in this regards.
5. All trees felling in the project area shall be as permitted by the forest department under the prescribed rules. Suitable clearance in this regard shall be obtained from the competent authority.
6. Impact of drainage pattern on environment should be provided.
7. Surface hydrology and water regime of the project area within 10 km should be provided.
8. A suitable plan for providing shelter, light and fuel, water and waste disposal for construction labour during the construction phase shall be provided along with the number of proposed workers.
9. Measures shall be undertaken to recycle and reuse treated effluents for horticulture and plantation. A suitable plan for waste water recycling shall be submitted.
10. Obtain proper permission from competent authorities regarding enhanced traffic during and due to construction and operation of project.
11. Obtain necessary clearances from the competent authority on the abstraction and use of ground water during the construction and operation phases.
12. Hazardous/inflammable/Explosive materials likely to be stored during the construction and operation phases shall be as per standard procedure as prescribed under law, Necessary clearances in this regards shall be obtained.
13. Solid wastes shall be suitably segregated and disposed. A separate and isolated municipal waste collection center should be provided. Necessary plans should be submitted in this regards.
14. Suitable rainwater harvesting systems as per designs of groundwater department shall be installed. Complete proposals in this regard should be submitted.
15. The emissions and effluents etc. from machines, Instruments and transport during construction and operation phases should be according to the prescribed standards. Necessary plans in this regard shall be submitted.
16. Water sprinklers and other dust control measures should be undertaken to take care of dust generated during the construction and operation phases. Necessary plans in this regard shall be submitted.
17. Suitable noise abatement measures shall be adopted during the construction and operation phases in order to ensure that the noise emissions do not violate the prescribed ambient noise standards. Necessary plans in this regard shall be submitted.
18. Separate stock piles shall be maintained for excavated top soil and the top soil should be utilized for preparation of green belt.

19. Sewage effluents shall be kept separate from storm water collection and drainage system and separately disposed. Other effluents should not be allowed to mix with domestic effluents.
20. Hazardous/Solid wastes generated during construction and operation phases should be disposed off as prescribed under law. Necessary clearances in this regard shall be obtained.
21. Alternate technologies for solid waste disposals (like vermin-culture etc.) should be used in consultation with expert organizations.
22. No wetland should be infringed during construction and operation phases. Any wetland coming in the project area should be suitably rejuvenated and conserved.
23. Pavements shall be so constructed as to allow infiltration of surface run-off of rain water. Fully impermeable pavements shall not be constructed. Construction of pavements around trees shall be as per scientifically accepted principles in order to provide suitable watering, aeration and nutrition to the tree.
24. The Green building Concept suggested by Indian Green Building Council, which is a part of CII-Godrej GBC, shall be studied and followed as for as possible.
25. Compliance with the safety procedures, norms and guidelines as outlined in National Building Code 2005 shall be compulsorily ensured.
26. Ensure usage of dual flush systems for flush cisterns and explore options to use sensor based fixtures, waterless urinals and other water saving techniques.
27. Explore options for use of dual pipe plumbing for use of water with different qualities such as municipal supply, recycled water, ground water etc.
28. Ensure use of measures for reducing water demand for landscaping and using xeriscaping, efficient irrigation equipments& controlled watering systems.
29. Make suitable provisions for using solar energy as alternative source of energy. Solar energy application should be incorporated for illumination of common areas, lighting for gardens and street lighting in addition to provision for solar water heating. Present a detailed report showing how much percentage of backup power for institution can be provided through solar energy so that use and polluting effects of DG sets can be minimized.
30. Make separate provision for segregation, collection, transport and disposal of e-waste.
31. Educate citizens and other stake-holders by putting up hoardings at different places to create environmental awareness.
32. Traffic congestion near the entry and exit points from the roads adjoining the proposed project site must be avoided. Parking should be fully internalized and no public space should be utilized.
33. Prepare and present disaster management plan.
34. The project proponents shall ensure that no construction activity is undertaken without obtaining pre-environmental clearance.
35. A report on the energy conservation measures confirming to energy conservation norms finalize by Bureau of Energy efficiency should be prepared incorporating details about building materials and technology, R & U Factors etc.
36. Fly ash should be used as building material in the construction as per the provision of fly ash notification of September, 1999 and amended as on August, 2003 (The above condition is applicable only if the project lies within 100 km of Thermal Power Station).
37. The DG sets to be used during construction phase should use low sulphur diesel type and should conform to E.P. rules prescribed for air and noise emission standards.
38. Alternate technologies to Chlorination (for disinfection of waste water) including methods like Ultra Violet radiation, Ozonation etc. shall be examined and a report submitted with justification for selected technology.

39. The green belt design along the periphery of the plot shall achieve attenuation factor conforming to the day and night noise standards prescribed for residential land use. The open spaces inside the plot should be suitably landscaped and covered with vegetation of indigenous variety.
40. The construction of the building and the consequent increased traffic load should be such that the micro climate of the area is not adversely affected.
41. The building should be designed so as to take sufficient safeguards regarding seismic zone sensitivity.
42. High rise buildings should obtain clearance from aviation department or concerned authority of Suitable measures shall be taken to restrain the development of small commercial activities or slums in the vicinity of the complex. All commercial activities should be restricted to special areas earmarked for the purpose.
43. It is suggested that literacy program for weaker sections of society/women/adults (including domestic help) and under privileged children could be provided in a formal way.
44. The use of Compact Fluorescent lamps should be encouraged. A management plan for the safe disposal of used/damaged CFLs should be submitted.
45. It shall be ensured that all Street and park lighting is solar powered. 50% of the same may be provided with dual (solar/electrical) alternatives.
46. Solar water heater shall be installed to the maximum possible capacity. Plans may be drawn up accordingly ad submitted with justification.
47. Treated effluents shall be maximally reused to aim for zero discharge. Where ever not possible, a detailed management plan for disposal should be provided with quantities and quality of waste water.
48. The treated effluents should normally not be discharged into public sewers with terminal treatment facilities as they adversely affect the hydraulic capacity of STP. If unable, necessary permission from authorities should be taken.
49. Construction activities including movements of vehicles should be so managed so that no disturbance is caused to nearby residents.
50. All necessary statutory clearances should be obtained and submitted before start of any construction activity and if this condition is violated the clearance, if and when given, shall be automatically deemed to have been cancelled.
51. Parking areas should be in accordance with the norms of MOEF, Government of India. Plans may be drawn up accordingly and submitted.
52. The location of the STP should be such that it is away from human habilitation and does not cause problem of odor. Odorless technology options should be examined and a report submitted.
53. The Environment Management plan should also include the break up costs on various activities and the management issues also so that the residents also participate in the implementation of the environment management plan.
54. Detailed plans for safe disposal of STP sludge shall be provided along with ultimate disposal location, quantitative estimates and measures proposed.
55. Status of the project as on date shall be submitted along with photographs from North, South, West and East side facing camera and adjoining areas should be provided.
56. Specific location along with dimensions with reference to STP, Parking, Open areas and Green belt etc. should be provided on the layout plan.
57. The DG sets shall be so installed so as to conform to prescribed stack heights and regulations and also to the noise standards as prescribed. Details should be submitted.

56. Specific location along with dimensions with reference to STP, Parking, Open areas and Green belt etc. should be provided on the layout plan.
57. The DG sets shall be so installed so as to conform to prescribed stack heights and regulations and also to the noise standards as prescribed. Details should be submitted.
58. E-Waste Management should be done as per MoEF guidelines.
59. Electrical waste should be segregated and disposed suitably as not to impose Environmental Risk.
60. The use of suitably processed plastic waste in the construction of roads should be considered.
61. Displaced persons shall be suitably rehabilitated as per prescribed norms.
62. Dispensary for first aid shall be provided.
63. Safe disposal arrangement of used toiletries items in Hotels should be ensured. Toiletries items could be given complementary to guests, adopting suitable measures.
64. Diesel generating set stacks should be monitored for CO and HC.
65. Ground Water downstream of Rain Water Harvesting pit nearest to STP should be monitored for bacterial contamination. Necessary Hand Pumps should be provided for sampling. The monitoring is to be done both in pre and post monsoon, seasons.
66. The green belt shall consist of 50% trees, 25% shrubs and 25% grass as per MoEF norms.
67. A Separate electric meter shall be provided to monitor consumption of energy for the operation of sewage/effluent treatment in tanks.
68. An energy audit should be annually carried out during the operational phase and submitted to the authority.
69. Project proponents shall endeavor to obtain ISO:14001 certification. All general and specific conditions mentioned under this environmental clearance should be included in the environmental manual to be prepared for the certification purpose and compliance.
70. 2% of total project cost should be utilized to create a corpus of funds for implementing plan under Social, Corporate and Environmental responsibility & proposals be submitted within 3 month of issuance of Environmental clearance.

b. <u>Specific Conditions:</u>

1. NOC from UP Pollution Control Board shall be duly complied with.
2. The overall noise levels in and around the plant area should be kept well within the standards by providing noise control measures.
3. The individual units to be setup in this complex will require environmental clearance as per provisions of EIA notification 14/09/2006 as amended. However, no EIA/EMP would be required for individual units.
4. Only leather goods fabrication and related non polluting processes will be carried out in the complex as proposed.
5. No hazardous substances shall be used.
6. No wet processing shall be done.
7. 100% waste water shall be treated in-house and treated effluent should conform to the prescribed standards of receiving body/designated uses. Excess treated water may be managed and utilized in judicious and environment friendly manner to avoid water logging.
8. Execution of EMP shall be ensured by the project proponents even after completion of the proposed project.
9. 100% street lighting shall be solar powered 50% of the same may be provided with dual (solar/electrical) alternatives.
10. Internal road width should be minimum 12 mt.

11. Parking calculations shall be made on the basis of local Authority bye-laws/MoEF norms. Higher of the two shall be provided.
12. E-Waste shall be managed as per E-Waste management rules, 2010/2011.
13. Only rooftop shall be used for rain water harvesting purposes initially. Rain water harvesting from green area should be done only after CGWB permission.
14. Permission from competent Authorities shall be taken prior to any ground water extraction.
15. Development of green belt on at least 33% of total plot area should be ensured.
16. A separate environmental management cell fully equipped laboratory and qualified personnel.
17. Adequate provision for infrastructure facilities such as water supply, fuel, sanitation etc. should be ensured for construction workers during the construction phase.
18. The project proponents should also duly comply with TTZ Authority norms and directions of Hon'ble Supreme Court applicable in the matter.
19. The management plan for process solid wastes should be submitted.

You are also advised to place this environmental clearance before the Hon'ble Supreme Court in the back drop of TTZ notification as directed by Govt. of India to UPSIDC through its letter no. 19-78/2010-IA.III dated 20/06/2011.

The project proponent will have to submit approved plans and proposals incorporating the conditions specified in the Environmental Clearance within 03 months of issue of the clearance. Failing this the environmental Clearance shall be deemed to be cancelled.

Necessary statutory clearances should be obtained and submitted before start of any construction activity. In the event of the violation of the condition the environmental clearance shall be automatically deemed to have been cancelled.

These stipulations would be enforced among others under the provisions of water (Prevention and Control of Pollution) Act.1974, the Air (Prevention and Control of Pollution) Act, 1981, The Environment (Protection) Act, 1986, the Public Liability (Insurance) Act, 1991 and EIA Notification, 2006 including the amendments and rules made thereafter.

This is to request you to take further necessary action in matter as per provision of Gazette Notification No. S.O. 1533(E) dated 14.9.2006 and send regular compliance reports to the authority as prescribed in the aforesaid notification.

(Dr. C.S. Bhatt)
Member Secretary, SEIAA

Copy for necessary action to:

1. The Principal Secretary, Environment, U.P. Govt., Lucknow.
2. Dr. Nalini Bhatt, Adviser, Ministry of Environment & Forests, Govt. of India, Paryavaran Bhavan, CGO Complex, Lodhi Road, New Delhi.
3. Regional Office, Ministry of Environment & Forests, (Central Region), Kendriya Bhawan, 5th Floor, Sector-H Aliganj, Lucknow.
4. The Member Secretary, U.P. Pollution Control Board, PICUP Bhawan, Gomti Nagar, Lucknow.
5. Nodal Officer, SEIAA, Directorate of Environment, U.P. Lucknow.

(O.P. Varma)
Director (I/C) & Secretary SEAC,
Directorate of Environment, U.P

Annexure No-5

(196)

भारत सरकार,
पर्यावरण एवं वन मन्त्रालय,
क्षेत्रीय कार्यालय ( मध्य क्षेत्र )

8बी/यू.पी./06/49/2011/एफ.सी. /1254

पंचम तल, केन्द्रीय भवन,
सैक्टर एच, अलीगंज,
लखनऊ–226024
टेलीफैक्स–0552–2326696
दिनांक : 21.10.2011

प्रमुख सचिव (वन),
वन अनुभाग–2, 6वां तल बापू भवन,
उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ।

: आगरा में एन0एच0 11 कि0मी0 17–18 के मध्य दाथी और प्रस्तावित लेदर पार्क योजना के संपर्क मार्ग हेतु 0.06 हे0 (पूर्व में 0.10 हे0) संरक्षित वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग व बाधक 10 वृक्षों के पातन की अनुमति।

: मुख्य वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, उत्तर प्रदेश का पत्रांक– 2614/11सी– आगरा–784, दिनांक– 09.05.2011,

य.

कृपया उपरोक्त विषय पर मुख्य वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, उत्तर प्रदेश का पत्रांक– 2614/11सी– आगरा–784, दिनांक– 09.05.2011 का आशय ग्रहण करने ष्ट करें जिसके द्वारा राज्य सरकार ने विषयांकित प्रस्ताव पर वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 की धारा (2) के अन्तर्गत भारत सरकार की स्वीकृति मांगी थी।

प्रश्नगत प्रकरण में इस कार्यालय के समसंख्यक पत्र दिनांक– 06.06.2011 द्वारा अतिरिक्त सूचना मांगी गयी थी जिसकी अनुपालना मुख्य वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, उत्तर प्रदेश के उपरोक्त संदर्भित पत्र द्वारा प्रस्तुत की गयी है। राज्य सरकार के प्रस्ताव पर ध्यानपूर्वक विचार करने के पश्चात् मुझे आपको यह सूचित करने का निर्देश कि केन्द्र सरकार आगरा में एन0एच0 11 कि0मी0 17–18 के मध्य दाथी और प्रस्तावित लेदर पार्क योजना के संपर्क मार्ग हेतु 40 मीटर x 25 मीटर के स्थान पर 40 मीटर ×15 मीटर = कुल 600 वर्गमीटर अथवा 0.06 हे0 काफी है अतः 0.06 हे0 संरक्षित वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग व बाधक 10 वृक्षों के पातन की सैद्धान्तिक स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों पर प्रदान करती है:–

1. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा वन विभाग के पक्ष में 100 वृक्षों का वृक्षारोपण एवं पांच वर्ष तक रखरखाव हेतु आवश्यक धनराशि (वर्तमान वेतन दरों को समाहित करने हेतु यथासंशोधित) जमा किया जायेगा।

2. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तावित संपर्क मार्ग के आस पास रिक्त पड़े स्थानों पर वृक्षारोपण एवं पांच वर्ष तक रखरखाव हेतु आवश्यक धनराशि (वर्तमान वेतन दरों को समाहित करने हेतु यथासंशोधित) जमा करेगा।

3. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा माननीय उच्चतम न्यायालय के रिट पिटीशन (सिविल) 202/1995 के अन्तर्गत आई0ए0 संख्या 566 एवं भारत सरकार पत्र संख्या 5–3/2007–एफ0सी0 दिनांक 05.02.2009 के तहत में दिये गये आदेशानुसार शुद्ध वर्तमान मूल्य (एन.पी.वी.) की निर्धारित राशि जमा की जायेगी।

4. उपरोक्त अनुदेशों के अनुसार शुद्ध वर्तमान मूल्य तथा दूसरी सभी निधियां प्रतिपूर्ति पौधारोपण निधि प्रबन्धन तथा योजना प्राधिकरण के तदर्थ निकाय के लेखा संख्या सी0ए0–1574, कार्पोरेशन बैंक(भारत सरकार का उपक्रम), ब्लाक–11 भूतल सी0जी0ओ0 काम्पलैक्स, फेज–1, लोधी रोड, नई दिल्ली–110003 में जमा कराया जायेगा।

5. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा मक डिस्पोजल योजना प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा स्वीकृत कराकर इस कार्यालय को प्रेषित की जायेगी एवं प्रयोक्ता अभिकरण इसके लिए आवश्यक धनराशि उपलब्ध करायेगा।

6 प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा माननीय उच्चतम न्यायालय के रिट पिटीशन (सिविल) 202/1995 के अन्तर्गत आई0ए0 संख्या 566 एवं भारत सरकार पत्र संख्या 5–3/2007–एफ0सी0 दिनांक 05.02.2009 के तहत दिये गये आदेशानुसार शुद्ध वर्तमान मूल्य (एन.पी.वी.) तथा दूसरी सभी निधियां प्रतिपूर्ति पौधारोपण निधि प्रबन्धन तथा योजना प्राधिकरण के तदर्थ निकाय कार्पोरेशन बैंक(भारत सरकार का उपक्रम), ब्लाक–11 भूतल सी0जी0ओ0 काम्पलैक्स, फेज–1, लोधी रोड, नई दिल्ली–110003 में जमा करने के उपरान्त ही पावती (रसीद) की छायाप्रति सहित सैद्धान्तिक स्वीकृति की अनुपालना प्रेषित की जाएगी मदवार जमा की गयी धनराशि का विवरण ( एन0पी0वी0, क्षतिपूरक वृक्षारोपण, दण्डात्मक क्षतिपूरक वृक्षारोपण, कैचमेन्ट ऐरिया ट्रीटमेन्ट प्लान (कैट प्लान), मार्ग/प्रस्तावित स्थल के आस पास वृक्षारोपण, मलबा निस्तारण, बाउन्ड्री पीलर द्वारा सीमांकन तथा अन्य हेतु जमा धनराशियों का विवरण) एवं जमा की गयी धनराशि का बैंक ड्राफ्ट/चैक की छायाप्रति (जिसमें जारी करने वाले बैंक का नाम, शाखा एवं दिनांक स्पष्ट रूप से अंकित हो) प्रस्तुत की जाएगी तदोपरान्त ही विधिवत् स्वीकृति पर विचार किया जाएगा।

7- पर्यावरण एवं वन मन्त्रालय नई दिल्ली के पत्रांक 11-9/98-FC, Dated- 08-07-2011 में दिये गये दिशा निर्देशों के अनुसार राज्य सरकार के सक्षम अधिकारी द्वारा प्रमाणित किये हुए भू. सन्दर्भित डिजीटल डाटा / मानचित्र प्रस्तुत कर निरीक्षण सीमाओं का निशान डाटा (shp) फार्मेट में दर्शाया जाए।

8- क्योंकि प्रस्तावित भूमि TTZ के अन्तर्गत आती है तो आवश्यकतानुसार सक्षम अधिकारी की अनुमति प्राप्त की जाए।

9 प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा आवश्यक न्यूनतम वृक्षों का ही पातन किया जायेगा।

उपरोक्त सभी शर्तों के परिपूर्ण एवं बिन्दुवार सुस्पष्ट परिपालन आख्या प्राप्त होने पर ही वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के तहत विधिवत स्वीकृति जारी की जायेगी। क विभाग को वनभूमि हस्तान्तरण की कार्यवाही राज्य सरकार द्वारा तब तक कार्यान्वित नहीं की जायेगी जब तक वनभूमि हस्तान्तरण के विधिवत आदेश भारत सरकार द्वारा ) नहीं किये जाते।

भवदीय,

/

(आई0 के0 सिंह चौहान)
वन संरक्षक (केन्द्रीय)

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :

1. अपर वन महानिदेशक (एफ.सी.), पर्यावरण एवं वन मन्त्रालय, पर्यावरण भवन सी.जी.ओ. काम्पलेक्स, लोधी रोड, नयी दिल्ली–110003
2. नोडल अधिकारी एवं मुख्य वन संरक्षक, वन उपयोग वृत्त, अरण्य भवन, 17 राणा प्रताप मार्ग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
3. प्रभागीय निदेशक, आगरा वन प्रभाग, आगरा उत्तर प्रदेश।
4. अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड भवन यू0पी0एस0आई0डी0सी0, प्रशासनिक भवन, औद्योगिक क्षेत्र [illegible]
5. आदेश पत्रावली।

(198)

# उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,

पिकप भवन, तृतीय तल, बी ब्लाक, विभूति खण्ड,
गोमती नगर, लखनऊ

संदर्भ संख्या F25783/सी-4/NOC-653/13 दिनॉक 13-6-13

सेवा में,

श्री अधिशाषी अभियन्ता, निर्माण खण्ड–VIII]
उत्तर प्रदेश इण्डस्ट्रियल डेवलेपमेन्ट कार्पो० लि0,
प्रशासनिक भवन, ईपीआईपी,
शास्त्रीपुरम, सिकन्दरा,
**आगरा**

विषय : पर्यावरणीय प्रदूषण की दृष्टि से जनपद आगरा में लैदर पार्क की स्थापना हेतु अनापत्ति प्रमाण–पत्र निर्गमन। जल(प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 तथा वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 के अन्तर्गत संयंत्रों की स्थापना से पूर्व सहमति के संबंध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक अपने आवेदन पत्र दिनॉक–शून्य व अन्य प्रपत्र दिनॉक–12.10.2012 व बैंक गारन्टी पत्र दिनॉक–29.05.2013 का संदर्भ लें। आपके आवेदन पर विचार किया गया तथा कृपया अवगत हों कि उद्योग को पर्यावरण प्रदूषण के दृष्टिकोण से निम्नलिखित विशिष्ट शर्तो एवम् सामन्य शर्तो (संलग्नक) के समुचित अनुपालन के साथ सशर्त अनापत्ति स्वीकृत की जाती है।

1. सहमति आदेश निम्नलिखित विशिष्ट विवरणों के लिए ही निर्गत किया जा रहा है :–

(क) **स्थल**– ग्राम बरौदा सदर, महुधर, पाली सदर, तहसील किरावली जनपद आगरा में नये लैदर पार्क की स्थापना ।

(ख) **उत्पादन** : लैदर पार्क की स्थापना जिसमें अप्रदूषणकारी उद्योग की स्थापना के साथ–साथ, टाउनशिप, ग्रुप हाऊसिंग प्लाट/बहुमंजिला आवासीय काम्पलैक्स निर्माण।

(ग) **मुख्य कच्चे माल** : लागू नही ।

(घ) **औद्योगिक उत्प्रवाह की मात्रा** : शून्य ।

(ङ.) **प्रयुक्त ईधन** : शून्य

...2

उपर्युक्त विषय वस्तु में किसी भी प्रकार से परिवर्तन करने पर पुनः अनापत्ति प्रमाण–पत्र प्राप्त करना आवश्यक होगा।

2 परियोजना में सभी आवश्यक यंत्र, संयंत्र, हरित पट्टिका, उत्प्रवाह शुद्धिकरण संयंत्र तथा वायु प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था की स्थापना में की गयी प्रगति रिर्पोट इस कार्यालय में प्रत्येक माह की दसवीं तारीख तक निरंतर प्रेषित करें।

3 इकाई में परीक्षण उत्पादन तब तक प्रारम्भ नही करें जब तक कि वह बोर्ड से जल एवं वायु अधिनियमों के अन्तर्गत सहमति प्राप्त न कर लें। जल एवम् वायु सहमति प्राप्त करने हेतु इकाई ने उत्पादन प्रारम्भ करने की तिथि से कम से कम 2 माह पहले निर्धारित सहमति आवेदन पत्रों को निर्धारित प्रथम सहमति शुल्क के साथ उत्पादन पूर्व प्रथम आवेदन का उल्लेख करते हुए इस कार्यालय में अवश्य ही जमा कर दिया जाये। यदि उद्योग उपरोक्त का अनुपालन नही करता है तो उक्त अधिनियमों के वैधानिक प्राविधानों के अन्तर्गत उद्योग के विरूद्ध बिना किसी पूर्व सूचना के विधिक कार्यवाही की जा सकती है।

4 यह अनापत्ति प्रमाण पत्र राज्य स्तरीय पर्यावरण प्रभाव निर्धारण प्राधिकरण उ0प्र0द्वारा जारी पर्यावरणीय स्वीकृति दिनॉक–08.12.2011 के आधार पर निर्गत किया जा रहा है जिसमें इंगित बिन्दुवार शर्तो की अनुपालन आख्या प्रत्येक तीन माह में राज्य बोर्ड को प्रेषित की जाये।

5 निर्माण संबंधी प्रगति आख्या प्रत्येक माह प्रेषित की जाये।

6 जल प्रदूषण के नियंत्रण हेतु व्यवस्था बोर्ड में जमा किये गये सीवेज ट्रीटमेन्ट प्लाण्ट के प्रस्ताव के अनुरूप की जाये।

7 लैदरपार्क /टाउनशिप में प्रस्तावित ग्रुप हाउसिंग प्लाट पर बहुमंजिली आवासीय काम्पलैक्स निर्माण की स्थिति में भविष्य में अधिसूचना के प्राविधानों के अन्तर्गत टी0टी0जेड अथॉरिटी, आगरा से अनापत्ति/ पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त किया जाना आवश्यक है।

8 संदर्भित परियोजना एक लैदर पार्क/टाउनशिप परियोजना है जिसका क्षेत्रफल लगभग 283.2 एकड़ है एवम् पर्यावरण व वन मंत्रालय, भारत सरकार की अधिसूचना संख्या–1533 दिनॉक–14.09.2006 के प्राविधानों के अन्तर्गत पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त की जाये व इसकी प्रति बोर्ड को प्रेषित की जाये।

9 एस0टी0पी0 का निमार्ण कर बोर्ड में जगा किये गये प्रस्ताव के अनुरूप स्थापित किया जाये तथा शुद्धिकृत उत्प्रवाह का उपयोग हरित पट्टिका, डोमिस्टिक फ्लशिंग हेतु किया जाये। उक्त के अतिरिक्त शेष बचे हुए उत्प्रवाह को आस–पास स्थित बड़े नाले में निस्तारित करने के बिन्दु तक समुचित पक्के नाले की व्यवस्था की जाये। उत्प्रवाह के जल भराव व नदियों में प्रदूषण की समस्या न बढ़े।

अनापत्ति प्रमाण पत्र आदेश मैसर्स लैदर पार्क, आगरा

10 पार्को एवम् परियोजना स्थल के चारों ओर ग्रीन बैल्ट विकसित किया जाये तथा नेशनल हाईवे साईड पर 30 मीटर ग्रीन बेल्ट अवश्य रहे एवम् उक्त दिशा में स्थित उद्योगों की प्रकृति के दृष्टिगत दुर्गन्ध रोधी प्रकृति का वृक्षारोपण सुनिश्चित किया जाये।

11 समस्त स्थापित किये जाने वाले अलग–अलग उद्योगों/ हाऊसिंग प्रोजेक्ट की स्थापना से पूर्व राज्य बोर्ड से अलग–अलग अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त किया जाये। यह अनापत्ति केवल लैदर पार्क की स्थापना हेतु मान्य है।

12 कोई भी टैनरी या अन्य प्रकार की प्रदूषणकारी इकाईयॉ जिनसे औद्योगिक उत्प्रवाह अथवा वायु उत्सर्जन जनित होने की संभावना हो, स्थापित न किया जाये।

13 बोर्ड नीति के अनुसार उद्योग परिसर में कम से कम 33 प्रतिशत क्षेत्रफल में वृक्षारोपण करने संबंधी संशोधित प्रस्ताव एक माह में प्रेषित किया जाये।

14 प्रस्तावित परियोजना की लागत 100 करोड़ में से पर्यावरणीय प्रबन्ध योजनाओं हेतु प्रस्तावित व्यय का पूर्ण विवरण, लागत व इसके स्थापना व कियान्वयन संबंधी कार्य योजना एक माह में प्रेषित की जाये।

15 ट्रायल संचालन से पूर्व राज्य बोर्ड से ट्रायल जल व वायु सहमति प्राप्त की जाये।

16 रेन वाटर हार्वेस्टिंग की उपयुक्त व्यवस्था में में जमा किये गये प्रस्ताव के अनुरूप की जाये।

17 पर्यावरण प्रभाव मूल्यॉकन रिर्पोट में की गयी संस्तुतियों व सुझावों का पूर्ण कियान्वयन किया जाये।

18 पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के प्राविधानों तथा इसके अन्तर्गत समय–समय पर जारी अधिसूचनाओं का अनुपालन किया जाये।

19 लैदर पार्क या अन्य गतिविधियों से ताज ट्रैपेजियम जोन में प्रदूषण भार में वृद्धि नही हो।

20 8000 कि0ली0/दिन क्षमता के घरेलू मलजल उत्प्रवाह क्षमता का सीवेज ट्रीटमेन्ट प्लाण्ट इस प्रकार से स्थापित किया जाये कि उक्त से यमुना नदी के प्रदूषणभार में वृद्धि न हो।

21 बैंक गारन्टी संख्या–0727आईएलजी001213, दिनॉक–28.05.213, रूपया–10,00,000/–वैधता तिथि 27.05.2018 में उल्लिखित शर्तो का पालन नही किये जाने पर अथवा नही पाये जाने पर बैंक गारन्टी जब्त की जा सकती है।

कृपया ध्यान दें कि उपर्युक्त लिखित विशिष्ट शर्तो एवम् सामान्य शर्तो का प्रभावी एवम् संतोषजनक अनुपालन न करने पर बोर्ड द्वारा निर्गत अनापत्ति प्रमाण पत्र निरस्त कर दिया जायेगा। बोर्ड का अधिकार सुरक्षित है कि अनापत्ति की शर्तो में संशोधन किया जाये अथवा निरस्त कर दिया जाय। उपर्युक्त विशिष्ट एवं सामान्य शर्तो के संबंध में उद्योग द्वारा इस कार्यालय में एक माह तक प्रथम अनुपालन आख्या अवश्य प्रेषित की जाए। अनुपालन आख्या नियमित प्रेषित की जाए अन्यथा अनापत्ति निरस्त कर दी जाएगी।

भवदीय,

सदस्य सचिव

तद्दिनॉक :

पृष्ठांकन सं0 /एन0ओ0सी0

प्रतिलिपि क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, आगरा को सूचनार्थ एवम् आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

Annexure No-5

भारत सरकार,
पर्यावरण एवं वन मन्त्रालय,
क्षेत्रीय कार्यालय ( मध्य क्षेत्र )

196

पंचम तल, केन्द्रीय भवन,
सैक्टर एच, अलीगंज,
लखनऊ–226024
टैलीफैक्स–0552–2326696

8बी/यू.पी./06/49/2011/एफ.सी. /1254

दिनांक : 21.10.2011

प्रमुख सचिव (वन),
वन अनुभाग–2, 6वां तल बापू भवन,
उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ।

: आगरा में एन०एच० 11 किमी० 17–18 के मध्य दायी ओर प्रस्तावित लेदर पार्क योजना के संपर्क मार्ग हेतु 0.06 है० (पूर्व में 0.10 है०) संरक्षित वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग व बाधक 10 वृक्षों के पातन की अनुमति।

: मुख्य वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, उत्तर प्रदेश का पत्रांक– 2614/11सी– आगरा–784, दिनांक– 09.05.2011.

य,

कृपया उपरोक्त विषय पर मुख्य वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, उत्तर प्रदेश का पत्रांक– 2614/11सी– आगरा–784, दिनांक– 09.05.2011 का आशय ग्रहण करने ष्ट करें जिसके द्वारा राज्य सरकार ने विषयांकित प्रस्ताव पर वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 की धारा (2) के अन्तर्गत भारत सरकार की स्वीकृति मांगी थी।

प्रश्नगत प्रकरण में इस कार्यालय के समसंख्यक पत्र दिनांक– 06.06.2011 द्वारा अतिरिक्त सूचना मांगी गयी थी जिसकी अनुपालना मुख्य वन संरक्षक एवं नोडल कारी, उत्तर प्रदेश के उपरोक्त संदर्भित पत्र द्वारा प्रस्तुत की गयी है। राज्य सरकार के प्रस्ताव पर ध्यानपूर्वक विचार करने के पश्चात् मुझे आपको यह सूचित करने का निर्देश कि केन्द्र सरकार आगरा में एन०एच० 11 किमी० 17–18 के मध्य दायी ओर प्रस्तावित लेदर पार्क योजना के संपर्क मार्ग हेतु 40 मीटर x 25 मीटर के स्थान पर 40 मीटर टर = कुल 600 वर्गमीटर अथवा 0.06 है० काफी है अतः 0.06 हे० संरक्षित वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग व बाधक 10 वृक्षों के पातन की सैद्धान्तिक स्वीकृति निम्नलिखित पर प्रदान करती है:–

1. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा वन विभाग के पक्ष में 100 वृक्षों का वृक्षारोपण एवं पांच वर्षों तक रखरखाव हेतु आवश्यक धनराशि (वर्तमान वेतन दरों को समाहित करने हेतु यथासंशोधित) जमा किया जायेगा।
2. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तावित संपर्क मार्ग के आस पास रिक्त पड़े स्थानों पर वृक्षारोपण एवं पांच वर्षों तक रखरखाव हेतु आवश्यक धनराशि (वर्तमान वेतन दरों को समाहित करने हेतु यथासंशोधित) जमा करेगा।
3. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा माननीय उच्चतम न्यायालय के रिट पिटीशन (सिविल) 202/1995 के अन्तर्गत आई०ए० संख्या 566 एवं भारत सरकार पत्र संख्या 5–3/2007–एफ०सी० दिनांक 05.02.2009 के तहत में दिये गये आदेशानुसार शुद्ध वर्तमान मूल्य (एन.पी.वी.) की निर्धारित राशि जमा की जायेगी।
4. उपरोक्त अनुदेशों के अनुसार शुद्ध वर्तमान मूल्य तथा दूसरी सभी निधिया प्रतिपूर्ति पौधारोपण निधि प्रबन्धन तथा योजना प्राधिकरण के तदर्थ निकाय के लेखा संख्या सी०ए०–1574, कार्पोरेशन बैंक(भारत सरकार का उपक्रम), ब्लाक–11 भूतल सी०जी०ओ० काम्पलैक्स, फेज–1, लोधी रोड, नई दिल्ली–110003 में जमा कराया जायेगा।
5. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा मक डिस्पोजल योजना प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा स्वीकृत कराकर इस कार्यालय को प्रेषित की जायेगी एवं प्रयोक्ता अभिकरण इसके लिए आवश्यक धनराशि उपलब्ध करायेगा।
6. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा माननीय उच्चतम न्यायालय के रिट पिटीशन (सिविल) 202/1995 के अन्तर्गत आई०ए० संख्या 566 एवं भारत सरकार पत्र संख्या 5–3/2007–एफ०सी० दिनांक 05.02.2009 के तहत दिये गये आदेशानुसार शुद्ध वर्तमान मूल्य (एन.पी.वी.) तथा दूसरी सभी निधिया प्रतिपूर्ति पौधारोपण निधि प्रबन्धन तथा योजना प्राधिकरण के तदर्थ निकाय कार्पोरेशन बैंक(भारत सरकार का उपक्रम), ब्लाक–11 भूतल सी०जी०ओ० काम्पलैक्स, फेज–1, लोधी रोड, नई दिल्ली-110003 में जमा करने के उपरान्त ही पावती (रसीद) की छायाप्रति सहित सैद्धान्तिक स्वीकृति की अनुपालना प्रेषित की जाएगी मदवार जमा की गयी धनराशि का विवरण ( एन०पी०वी०, क्षतिपूरक वृक्षारोपण, दण्डात्मक क्षतिपूरक वृक्षारोपण, कैचमेन्ट ऐरिया ट्रीटमेन्ट प्लान (कैट प्लान), मार्ग/प्रस्तावित स्थल के आस पास वृक्षारोपण, मलबा निस्तारण, बाउन्ड्री पीलर द्वारा सीमांकन तथा अन्य हेतु जमा धनराशियों का विवरण) एवं जमा की गयी धनराशि का बैंक ड्राफ्ट/चैक की छायाप्रति (जिसमें जारी करने वाले बैंक का नाम, शाखा एवं दिनांक स्पष्ट रूप से अंकित हो) प्रस्तुत की जाएगी तदोपरान्त ही विधिवत् स्वीकृति पर विचार किया जाएगा।

7- पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, नई दिल्ली के पत्रांक 11-9/98-FC, Dated- 08-07-2011 में दिये गये दिशा निर्देशों के अनुसार [illegible] द्वारा प्रमाणित किये हुए मू. संदर्भित [illegible] / [illegible] प्रस्तुत कर [illegible] सीमा का [illegible] (shp) फाइल में दर्शाया जाना [illegible]।

8- क्योंकि प्रस्तावित भूमि TTZ के अन्तर्गत आती है तो आवश्यकतानुसार सक्षम अधिकारी की अनुमति प्राप्त की जाए।

9. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा आवश्यक न्यूनतम वृक्षों का ही पातन किया जायेगा।

उपरोक्त सभी शर्तों के परिपूर्ण एवं बिन्दुवार सुस्पष्ट परिपालन आख्या प्राप्त होने पर ही वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के तहत विधिवत स्वीकृति जारी की जायेगी। क विभाग को वनभूमि हस्तान्तरण की कार्यवाही राज्य सरकार द्वारा तब तक कार्यान्वित नहीं की जायेगी जब तक वनभूमि हस्तान्तरण के विधिवत् आदेश भारत सरकार द्वारा नहीं किये जाते।

भवदीय,

(आई० के० सिंह चौहान)
वन संरक्षक (केन्द्रीय)

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :

1. अतिरिक्त वन महानिदेशक (एफ.सी.), पर्यावरण एवं वन मन्त्रालय, पर्यावरण भवन सी.जी.ओ. काम्पलेक्स, लोधी रोड, नयी दिल्ली–110003
2. नोडल अधिकारी एवं मुख्य वन संरक्षक, वन संरक्षण, [illegible] भवन, 17 राणा प्रताप मार्ग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
3. प्रभागीय निदेशक, आगरा वन प्रभाग, आगरा उत्तर प्रदेश।
4. अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड [illegible] यू०पी०एस०आई०डी०सी०, प्रशासनिक भवन, औद्योगिक क्षेत्र, कोसी कलां, जनपद– मथुरा, उत्तर प्रदेश।
5. आदेश पत्रावली।

क्षेत्रीय कार्यालय, उ0प्र0प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,
भवन सं0 14, सेक्टर 3बी, आवास विकास सिकन्दरा योजना, आगरा। (59)

पत्रांक – 2112 / NOC दिनांक – 31.3.

सेवा में,

क्षेत्रीय प्रबन्धक,
उ0प्र0 राज्य औद्योगिक विकास निगम लि0,
निर्माण खण्ड–8, औद्योगिक क्षेत्र सिकन्दरा,
साईट–सी, आगरा।

विषय– यू0पी0एस0आई0डी0सी0 द्वारा विकसित किये जा रहे लैदर पार्क के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया बोर्ड मुख्यालय के पत्रांक जी12807 / सी–4 / एनओसी–653 / 2012 दिनांक 20.03.2012 जोकि लैदर पार्क हेतु पर्यावरणीय दृष्टिकोण से अनापत्ति प्रमाण पत्र हेतु किये गये आवेदन को सूचनाओं के अभाव में लम्बित न रखते हुये पत्रावली बंद किये जाने सम्बन्धित है का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें इस सम्बन्ध में आपको निर्देशित किया जाता है कि निर्देशों के अनुपालन हेतु वांछित सूचनाये एवं प्रपत्र तथा उपाध्यक्ष, आगरा विकास प्राधिकरण / सदस्य–संयोजक, टी0टी0जेड0 प्राधिकरण, आगरा के पत्रांक 347 / टी0टी0जेड0(पी0एम0यू0) / एनओसी–लैदरपार्क / 11 दिनांक 30.06.2011 जिसके द्वारा टी0टी0जेड0 प्राधिकरण की समीक्षात्मक बैठक दिनांक 30.04.2011 में लिये गये निर्णय तथा कार्यालय के पूर्व प्रेषित पत्रांक 1690 / ओजी–497 / 2010 दिनांक 19.11.2010 द्वारा संसूचित विभागीय अनुज्ञाओं के सम्बन्ध में कार्यवाही कर प्राप्त अनुज्ञायें शीघ्र अतिशीघ्र प्रेषित करने का कष्ट करें ताकि टी0टी0जेड0 प्राधिकरणं एवं बोर्ड मुख्यालय, लखनऊ को वस्तुस्थिति से अवगत कराया जा सके।

भवदीय

31/03

(डॉ0 बी0बी0 अवस्थी)
क्षेत्रीय अधिकारी

प्रतिलिपिः– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रेषित।

1. उपाध्यक्ष, आगरा विकास प्राधिकरण / सदस्य–संयोजक, टी0टी0जेड0 प्राधिकरण, आगरा को उनके पत्रांक 347 / टी0टी0जेड0(पी0एम0यू0) / एनओसी–लैदरपार्क / 11 दिनांक 30.06.2011 के अनुकम में अनुपालनार्थ प्रेषित।
2. मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त–4), उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।

31/03
क्षेत्रीय अधिकारी